

बिहार सरकार
खेल विभाग

पत्रांक-05/खेल 8-26/2024...340.../

पटना, दिनांक-01/09/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.),
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना।

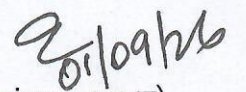
विषय :-

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों की एक शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूजीलैंड अंडर-20 रग्बी टीम दिनांक-24 से 31 अक्टूबर, 2026 तक भारत का दौरा करने के निमित्त आयोजन की सुगमता के लिए रग्बी इंडिया द्वारा रग्बी मैदान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानक तक उन्नत करने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं हेतु अनुमानित व्यय राशि ₹41,50,000/- + 18% जीएसटी (₹7,47,000/-) अर्थात् कुल राशि ₹48,97,000/- (अड़तालीस लाख सन्तानवे हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-52 के अधीन बजट शीर्ष 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-104-खेलकूद-0013-राज्य खेल अकादमी, राजगीर विपत्र कोड-52-2204001040013 के अंतर्गत विषय शीर्ष-28-02 में उपबंधित राशि से होगा।
- इस राशि की निकासी, सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा किया जायेगा।
- स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार/बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगी।
- स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय खेल विभाग, बिहार, पटना को विहित विपत्र में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3758, दिनांक-31.05.2017 एवं संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- इस राशि की स्वीकृति पर सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

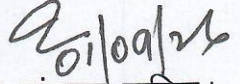
ज्ञापांक-05/खेल 8-26/2024..340.../

पटना, दिनांक-01/09/2026

प्रतिलिपि :- निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. निदेशक, खेल निदेशालय/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक, खेल विभाग/बजट शाखा/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई0 टी0 मैनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।